आंचलिक कार्यालय मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
" 26 किसान भवन" अरेरा हिल्स जेल रोड़ भोपाल

क/उप/स/नियमन/15–16/6163 भोपाल दिनांक 23/12/15

प्रति

सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति
.... जिला ....

विषयः– बासमती धान की ~~क्र~~ मान्य किस्मों का निर्धारण एवं धान पर मण्डी फीस से छूट के संबंध में।

सन्दर्भः– प्रबंध संचालक महोदय का पत्र क्रमांक/बी–6/नियमन/शा.सा./263/पार्ट/2012/537 भोपाल दिनांक 28/7/2012 एवं आंचलिक कार्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक/उप/स/भो/नियमन/114/12–13/5280 भोपाल दिनांक 06/08/2012, एवं पत्र क्रमांक 3127 दिनांक 26/7/2013

-----000-----

मध्य प्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्र 24 सन् 1973) की धारा 69 की उपधारा (1) एवं (2) के अधीन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की सन्दर्भित अधिसूचना क–डी–16–50–2005 चौदह–3 दिनांक 12.03.2008 तथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 07/12/2010 के द्वारा प्रदेश मे बासमती चावल के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्वेश्य से किसी मण्डी क्षेत्र में केवल बासमती चावल के उत्पादन के लिए प्रसंस्करण के उपयोग में लाई गई बासमती धान पर अधिसूचना में विहीत शर्तो एवं निबंधनों के अधीन देय मण्डी फीस के भुगतान में छूट प्रदान की गई है।

अधिसूचना में वर्णित शर्तो एवं निबंधनों के अध्यधीन रहते हुए, आवश्यक औपचारिकताए पूर्ण की जाकर, सूक्ष्म परीक्षण उपरान्त वांछित दस्तावेजो के आधार पर मण्डी अधिनियम के प्रावधान अन्तर्गत मण्डी फीस की छूट की पात्रता को सुनिश्चित करने के पश्चात् ही मण्डी फीस से छूट प्रदान किए जाने के निर्देश के साथ ही सन्दर्भित पत्रों द्वारा बासमती धान के प्रभार एवं मापदण्ड निर्धारण के संबंध में भी निर्देश जारी कर आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ठ कराया गया था कि बासमती समूह के अन्तर्गत धान की निम्नानुसार किस्में ही मान्य है।

(1) धान–पी–1121 (पूसा सुगन्धा–4)
(2) पूसा बासमती–1
(3) पूसा सुगंन्धा 3 एवं 5 किस्में

छूट देने के पूर्व उपरान्त किस्मो के निर्धारण हेतु तीन प्रक्रियाये यथा आकार के मापदण्ड , ज.न.कृ.वि.वि जबलपुर के पत्र क्रमांक/एम डी पी/बासमती/2023 मे दिए विवरण

अनुसार पुष्टि एवं आवश्यकतानुसार अन्तिम पुष्टि डी.एन.एन फिगंर प्रिन्टिंग सुझाई गई थी। मिलो के द्वारा क्रय किए गये कृषि उपज धान के उपरोक्तानुसार भौतिक सत्यापन हेतु रजिस्टर/पंचनामा आदि का इन्द्राज प्रतिदिन किया जाना, तथा संस्था/फर्म/मिल से प्रमाणीकरण कराना आवश्यक था।

यह देखा जा रहा है की मण्डी समितियों द्वारा अधिसूचना मे वर्णित शर्तो एवं निबंधनों का शत प्रतिशत पालन एवं बासमती समुह के अन्तर्गत मान्य किस्मो का नियमानुसार निर्धारण न करते हुए धान की अन्य अमान्य किस्मों पर भी मण्डी फीस से छूट दी जा रही है। जिसमे बडी मात्रा मे मण्डी फीस की हानि की संभावना है।

अतःनिर्देशित किया जाता है कि बासमती धान पर मण्डी फीस से छूट देने के पूर्व अधिसूचना में वर्णित शर्तो, निबंधनों व इस संबंध में दिये दिशा निर्देशों का पूर्णतः पालन करते हए बासमती धान की किस्म का नियमानुसार निर्धारण कर केवल बासमती समूह की मान्य किस्मों पर ही छूट दी जाना सुनिश्चित करें। यदि नियमों के विपरीत अमान्य किस्मों पर छूट दी जाना पाया जाता है तो इसकी समस्त जबावदारी संबंधित सचिव की होगी व नियम विरूद्व दी गई मण्डी फीस की राशि की वसूली संबंधित से वसूली योग्य होगी।

उपरोक्त तथ्यों के परीपेक्ष में बासमती धान पर अब तक दी गई छूट से संबंधित प्रतिवेदन/वस्तुस्थिति की जानकारी निम्न बिन्दुओं पर तत्काल दी जाना सुनिश्चित करें।

(1) अधिसूचना में वर्णित शर्तो एवं निबंधनों का पूर्णतः पालन किया गया है।

(2) बासमती धान के प्रकार एवं मापदण्डों के अनुरूप दिए गए निर्देशानुसार बासमती धान की मण्डी फीस से छूट हेतु मान्य किस्मो का निर्धारण कर ही छूट दी गई है।

(3) मान्य किस्मों के अतिरिक्त अन्य किस्मों पर तो छूट नहीं दी गई है। यदि दी गई है तो मात्रा एवं छूट की राशि का विवरण।

संलग्नः' उपरोक्तानुसार (06 पत्रक)

अपर कलेक्टर/अपर संचालक
मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय भोपाल

पृ.क/उप/स/नियमन/15–16/ भोपाल दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

अपर कलेक्टर/अपर संचालक
मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय भोपाल